Acio

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-सा.-22112021-231274
CG-DL-W-22112021-231274

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 38] नई दिल्ली, नवम्बर 7 - नवम्बर 13, 2021, शनिवार/ कार्तिक 16- कार्तिक 22, 1943
No. 38] NEW DELHI, NOVEMBER 7 - NOVEMBER 13, 2021, SATURDAY/ KARTIKA 16 - KARTIKA 22, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय
(न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय)

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 130.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में सहायक केंद्रीय आसूचना अधिकारी श्रेणी - I (दस्तावेज) भर्ती नियम 1978 को, जहाँ तक उनका संबंध इस पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय और इनकी दूरस्थ इकाइयों में सहायक केंद्रीय

आसूचना अधिकारी श्रेणी - I (दस्तावेज) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, सहायक केंद्रीय आसूचना अधिकारी श्रेणी - I (दस्तावेज), समूह 'ख' राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगें।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपबद्ध अनुसूचि में स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.-** उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूचि के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.- वह व्यक्ति -**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या ,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए, आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक केंद्रीय आसूचना अधिकारी श्रेणी - I (दस्तावेज)।	13*(2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर 7 (44900-142400/- रु)	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतशितता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
30 वर्ष से अधिक नही (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण** : आयु सीमा को अवधारित करने की निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	**आवश्यक:** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या भौतिकी या न्यायिक विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें बीएससी स्तर पर तीनो वर्ष में रसायन विज्ञान या भौतिकी एक विषय के रूप में रहा हो ; (ii) किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, के संगठन या मान्यता प्राप्त संस्थानों या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन सुसंगत क्षेत्र में अनुसंधान या विश्लेषणात्मक कार्य के दो वर्ष अनुभव। **टिप्पण** : शैक्षिक अहर्ताए में सुसंगत विषय और वह क्षेत्र जिसमे अनुसंधानिक अनुभव की आवश्यकता है, भर्ती के समय पुन्मूल्यांकन के अनुसार विनिदिष्ट किया जाएगा। **वांछित अनुभव** : न्यायलिक विज्ञान प्रयोगशाला में कार्य करने का अनुभव	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण** : पदधारक के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही परिस्थितियो में एक वर्ष या इस से अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर केंद्रीय सरकार द्वारा भरा जा सकेगा। क (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है ; (ii) वेतन मेट्रिक्स स्तर 06 (35400-112400/- रु) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हों ; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (सीधी भर्ती के पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे:-** (1) निदेशक, केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय -अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

	(2) उप निदेशक और वैज्ञानिक 'डी', केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य (3) गृह मंत्रालय का एक अधिकारी जो भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से नीचे ना हो - सदस्य।	

[फा. सं. डीएफएसएस/2/3/2004- एडीएम(एफएस)]

नरेंद्र कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Directorate of Forensic Science Services)

New Delhi, the 9th February, 2021

G.S.R. 130.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Bureau of Police Research and Development [Assistant Central Intelligence Officer, Grade-I (Documents)] Recruitment Rules, 1978, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Central Intelligence Officer, Grade –I(Documents) in the Ministry of Home Affairs, Directorate of Forensic Science Services and its outlying units, namely:-

1. **Short title and commencement.-**

(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Forensic Science Services, Assistant Central Intelligence Officer, Grade-I (Documents) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.** - The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Central Intelligence Officer Grade –I (Documents).	13* (2021) * subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non- Ministerial.	Level -7 (Rs. 44900-142400/-)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding 30 years.(Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	**Essential:** (i) M.sc in Chemistry or Physics or Forensic Science with Chemistry or Physics as one of the subjects during all the three years of Bachelor of Science level from a recognised university; (ii) Experience: two years experience in research and analytical work in the relevant field in any Central Government or State Government organisations or recognised institutes or university or Forensic Science Laboratories under the Central Government or State Governments. **Note :** The relevant discipline (s) in educational qualifications and areas in which research experience is required shall be specified according to the requirement at the time of recruitment. Desirable experience: Working in a Forensic Science Laboratory.	Not applicable	Two years	By direct recruitment. Note : vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years of regular service in the posts in level 6 of the pay matrix (Rs.35400-112400/-) ; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (1) Director, Central Forensic Science Laboratory, Directorate of Forensic Science Services -Chairman (2) Dy. Director and Scientist D, Central Forensic Science Laboratory, Directorate of Forensic Science Services -Member (3) An officer from Ministry of Home Affairs, not below the rank of Under Secretary to the Government of India –Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. DFSS/2/3/2004-Adm(FS)]

NARENDER KUMAR, Under Secy.

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 131.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और संघ लोक सेवा आयोग, विभागीय कैंटीन, समूह 'ग' और समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2002 को, जहाँ तक उनका संबंध रोकड़िया, भंडारी, कैंटीन लिपिक, हलवाई, रसोइया, सहायक हलवाई, बेयरा, चाय/काफी बनाने वाला, वाशबाय और सफाई कर्मचारी के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के विभागीय कैंटीन में समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-**

   (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, विभागीय कैंटीन, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2021 है।

   (ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना:-** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होगें जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.** – उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता - वह व्यक्ति-**